



2026:AHC-LKO:41368

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4242 वर्ष 2026

शिवम तिवारी

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : रमाकर शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाकर शुक्ला, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. वर्तमान आवेदन, थाना अमेठी, जनपद अमेठी में अपराध संख्या 358/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 345(2), 340(2) बीएनएस, धारा 3(2)(घ), 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 29(1)(क), 29(1)(ख), 29(1)(ग) कीटनाशी अधिनियम तथा धारा 7, 19(ग) (ii) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, धारा 63, 65 कॉपी राइट अधिनियम तथा धारा 102, 103, 104 ट्रेड मार्क अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त मामला जिला कृषि अधिकारी, अमेठी द्वारा आवेदक एवं एक राम उजागिर यादव के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है यह कहते हुये कि जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में जिला कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार, अमेठी एवं पुलिस दल ने प्रमोद आलोक इंटरमीडिएट कॉलेज, अमेठी के परिसर पर छापा मारा। श्री आशीष जांगड़ा, श्री कुलदीप कुशवाहा एवं श्री बॉबी कुमार, डू बडी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि भी छापे के दौरान उपस्थित थे। सह-अभियुक्त राम उजागिर यादव को एक बोरी में बेयर कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा के 1-किलोग्राम के पैकेट भरते हुए पाया गया। उसने बताया कि वह एक मजदूर है और सामग्री शिवम तिवारी (आवेदक) की है। परिसर से बेयर कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशी के 414 पैकेट और भरे हुए 38 पैकेट के अतिरिक्त 443 रैपर जो जाली प्रतीत होते थे, पाए गए और कीटनाशी प्रथम दृष्टया घटिया गुणवत्ता का प्रतीत हुआ। राम उजागिर यादव सामग्री से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

4. राम उजागिर यादव के कथन के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है और 16.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में केवल सह-अभियुक्त व्यक्ति के अभिरक्षात्मक कथन के आधार पर फंसाया गया है। वह परिसर जहां आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी, एक कॉलेज का कमरा है और याचिकाकर्ता का उससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मूल आरोप कॉपी राइट और ट्रेड मार्क के उल्लंघन का है और उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों का विचारण केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल किए जाने पर ही किया जा सकता है और इनमें अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप विवेचना के दौरान स्थापित हुए हैं और 16.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

8. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरणों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.01.2026 से जेल में निरुद्ध है और विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है और कोई ऐसी टिप्पणी किए बिना जो मामले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती है, मैं इस मत का हूँ कि उपरोक्त तथ्य उपरोक्त अपराध में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

9. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक-शिवम तिवारी को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तारीख को उपस्थित होगा, जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।